



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



24 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 79 राँची, मंगलवार,

13 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

27 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-11/2021 का.- 6027--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री उमाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-588/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर के विरुद्ध 20 करोड़ की राशि Union Bank से IDBI Bank में अंतरित करने का आदेश देने, पुनः 76 करोड़ की राशि IDBI Bank में अंतरित करने का आदेश देने, वित्त विभाग के पत्रांक-245/वि०, दिनांक 25.01.2019 का संज्ञान नहीं लेने, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी राशि नहीं रखने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश है, के बावजूद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संधारित खाते को बंद कर निजी बैंक IDBI Bank में खाता खोलने तथा वित्तीय प्रबंधन में मनमानापन एवं वित्त विभाग के द्वारा लिये गये निर्णय की अनदेखी एवं वित्त जैसे संवेदनशील मामले में भी उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना संबंधी, जैसा कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1362, दिनांक-05.03.2021 के माध्यम से उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-57, दिनांक 22.01.2021 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला भूअर्जन पदाधिकारी, देवघर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री उमाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
